

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जनवरी 2014—माघ 4, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2014

क्र. 427-35-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 जनवरी, 2014 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् २०१४

मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१४

[दिनांक २३ जनवरी, २०१४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २४ जनवरी, २०१४ को प्रथमबार प्रकाशित की गई।]

वित्तीय वर्ष २०१३-२०१४ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१४ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग सात हजार इकहत्तर करोड़ तिहत्तर लाख इक्कीस हजार छः सौ रुपये होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१३-२०१४ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेगी.

वित्तीय वर्ष २०१३-२०१४ के लिये राज्य की संचित निधि में से ७०,७१,७३,२१,६०० रुपयों का दिया जाना.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

विनियोग.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवार्ये और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारत	योग	
		रुपये	रुपये	रुपये	
.	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	२,२३,९४,२९,०००	२,२३,९४,२९,०००
०१.	सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व	५४,६८,८८,३००	१,६०,०००	५४,७०,४८,३००
		पूंजी	५,००,००,१००	०	५,००,००,१००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	२,२२,८७,३००	०	२,२२,८७,३००
०३.	पुलिस	राजस्व	४९,३२,००,०००	०	४९,३२,००,०००
		पूंजी	७२,८४,००,०००	०	७२,८४,००,०००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
०५.	जेल	राजस्व	२,९६,१५,०००	०	२,९६,१५,०००
०६.	वित्त	राजस्व	७,५०,०००	०	७,५०,०००
०७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व	५१,११,७६,९००	०	५१,११,७६,९००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	३,५५,५०,०००	३,००,०००	३,५८,५०,०००
१०.	वन	राजस्व	५३,११,००,६००	७,७५,६९,०००	६०,८६,६९,६००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व	४५,७२,५३,०००	०	४५,७२,५३,०००
		पूंजी	१५,००,०००	०	१५,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
१२.	ऊर्जा			
	राजस्व	१२,५०,००,००,०००	०	१२,५०,००,००,०००
	पूंजी	९३,९३,००,०००	०	९३,९३,००,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास			
	राजस्व	६९,६५,७७,२००	०	६९,६५,७७,२००
१४.	पशुपालन			
	राजस्व	८,८०,८६,०००	०	८,८०,८६,०००
	पूंजी	३,००,००,०००	०	३,००,००,०००
१५.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता			
	राजस्व	१०,४२,३७,०००	०	१०,४२,३७,०००
	पूंजी	५,६४,०२,०००	०	५,६४,०२,०००
१६.	मछली पालन			
	राजस्व	२,००,१००	३,००,०००	५,००,१००
१७.	सहकारिता			
	राजस्व	२७,१५,१००	०	२७,१५,१००
१८.	श्रम			
	राजस्व	७,९४,२६,०००	०	७,९४,२६,०००
१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
	राजस्व	३,९७,१२,०००	०	३,९७,१२,०००
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी			
	राजस्व	१,६०,००,०००	०	१,६०,००,०००
२१.	आवास एवं पर्यावरण			
	राजस्व	६,५०,००,०००	०	६,५०,००,०००
	पूंजी	३२,५१,०००	०	३२,५१,०००
२२.	नगरीय प्रशासन एवं विकास- नगरीय निकाय			
	राजस्व	३६,१५,००,०००	०	३६,१५,००,०००
२३.	जल संसाधन			
	पूंजी	२,००,००,००,४००	०	२,००,००,००,४००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	३,३५,३४,००,५००	०	३,३५,३४,००,५००
२५.	खनिज साधन	राजस्व	१००	१,४१,३४,००,०००	१,४१,३४,००,१००
२६.	संस्कृति	राजस्व	३,१७,००,०००	०	३,१७,००,०००
		पूंजी	१,२०,००,०००	०	१,२०,००,०००
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	७५,००,००,०००	०	७५,००,००,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य	राजस्व	१०,२६,००,०००	०	१०,२६,००,०००
३२.	जनसंपर्क	राजस्व	१६,२०,००,०००	०	१६,२०,००,०००
३३.	आदिम जाति कल्याण	राजस्व	१२,९०,२००	०	१२,९०,२००
३४.	सामाजिक न्याय	राजस्व	२०,६५,००,०००	०	२०,६५,००,०००
३६.	परिवहन	राजस्व	२,२५,००,१००	०	२,२५,००,१००
		पूंजी	१२,००,००,०००	०	१२,००,००,०००
३७.	पर्यटन	राजस्व	६९,००,०००	०	६९,००,०००
		पूंजी	४५,६५,६४,०००	०	४५,६५,६४,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	४,०७,००,८४,०००	०	४,०७,००,८४,०००
		पूंजी	१,५६,००,००,०००	०	१,५६,००,००,०००
४०.	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	राजस्व	८००	०	८००
		पूंजी	५०,००,००,०००	०	५०,००,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
४१.	आदिवासी क्षेत्र उपयोगना			
	राजस्व	६८,५८,७५,३००	०	६८,५८,७५,३००
	पूंजी	४४,४८,८०,३००	०	४४,४८,८०,३००
४३.	खेल और युवक कल्याण			
	राजस्व	२०,५८,७०,०००	०	२०,५८,७०,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
	राजस्व	७,७२,००,०००	०	७,७२,००,०००
	पूंजी	२,४८,००,०९,३००	०	२,४८,००,०९,३००
४७.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास			
	राजस्व	२५,३९,९०,०००	०	२५,३९,९०,०००
	पूंजी	३२,००,००,०००	०	३२,००,००,०००
४८.	नर्मदा घाटी विकास			
	राजस्व	८,६२,००,१००	०	८,६२,००,१००
	पूंजी	१,२४,५२,००,०००	०	१,२४,५२,००,०००
४९.	अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण			
	राजस्व	१२,३५,०००	०	१२,३५,०००
५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण			
	राजस्व	१७,३८,७५,१००	०	१७,३८,७५,१००
५२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता			
	राजस्व	३६,५१,६५,०००	०	३६,५१,६५,०००
	पूंजी	७,७५,५१,०००	०	७,७५,५१,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास			
	राजस्व	६५,९५,४०,०००	०	६५,९५,४०,०००
	पूंजी	१,७६,४०,२०,०००	०	१,७६,४०,२०,०००
५६.	ग्रामोद्योग			
	राजस्व	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व ६,००,००,००,०००	०	६,००,००,००,०००
६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	राजस्व २००	०	२,००
		पूंजी २,०५,९४,००,०००	०	२,०५,९४,००,०००
६३.	अल्पसंख्यक कल्याण	राजस्व २,३०,००,०००	०	२,३०,००,०००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व ८६,६०,५६,१००	०	८६,६०,५६,१००
		पूंजी २,००,३२,२७,३००	०	२,००,३२,२७,३००
६५.	विमानन	राजस्व १०,००,०००	०	१०,००,०००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व १,४०,८९,००,०००	०	१,४०,८९,००,०००
		पूंजी ८,८२,१८,०००	०	८,८२,१८,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य- भवन	राजस्व २५,००,००,०००	०	२५,००,००,०००
		पूंजी १००	०	१००
६९.	सूचना प्रौद्योगिकी	राजस्व ५,३९,००,०००	०	५,३९,००,०००
		पूंजी ७,५०,००,०००	०	७,५०,००,०००
७२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	राजस्व २,३०,२९,०००	०	२,३०,२९,०००
७३.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व ६९,१५,००,०००	०	६९,१५,००,०००
		पूंजी ५०,००,०००	०	५०,००,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
७४. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता			
	राजस्व	८,३३,५१,४१,०००	०
	पूंजी	२१,८५,५३,०००	०
७५. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता			
	राजस्व	१,९१,१२,६०,०००	७५,००,००,०००
७६. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा			
	राजस्व	२४,२५,००,०००	०
७७. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)			
	राजस्व	१,३३,४२,००,१००	०
	योग :		
	{ राजस्व	४८,९९,७६,८७,१००	४,४८,११,५८,०००
	{ पूंजी	१७,२३,८४,७६,५००	०
	वृहद योग :	६६,२३,६१,६३,६००	४,४८,११,५८,०००
			७०,७१,७३,२१,६००

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2014

क्र. 428-35-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, 2014 (क्रमांक 1 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 1 OF 2014.

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION ACT, 2014.

[Received the assent of the Governor on the 23rd January, 2014 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 24th January, 2014.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2013-2014.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Fourth year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation Act, 2014.

Short title.

Issue of Rs. 70,71,73,21,600 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2013-2014.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Seven thousand seventy one crores seventy three lakhs twenty one thousands six hundreds rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2013-2014 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) Number of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total	
		Rs.	Rs.	Rs.	
	Charged Appropriation-Interest Payments and servicing of Debt.	Revenue	0	2,23,94,29,000	2,23,94,29,000
01	General Administration & Lok Seva Prabandhan	Revenue	54,68,88,300	1,60,000	54,70,48,300
		Capital	5,00,00,100	0	5,00,00,100
02	Other expenditure pertaining to General Administration Department	Revenue	2,22,87,300	0	2,22,87,300
03	Police	Revenue	49,32,00,000	0	49,32,00,000
		Capital	72,84,00,000	0	72,84,00,000
04	Other expenditure pertaining to Home Department	Revenue	1,00,00,000	0	1,00,00,000
05	Jail	Revenue	2,96,15,000	0	2,96,15,000
06	Finance	Revenue	7,50,000	0	7,50,000
07	Commercial Tax	Revenue	51,11,76,900	0	51,11,76,900
08	Land Revenue and District Administration	Revenue	3,55,50,000	3,00,000	3,58,50,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
10	Forest	Revenue	53,11,00,600	7,75,69,000	60,86,69,600
11	Commerce Industry and Employment	Revenue	45,72,53,000	0	45,72,53,000
		Capital	15,00,000	0	15,00,000
12	Energy	Revenue	12,50,00,00,000	0	12,50,00,00,000
		Capital	93,93,00,000	0	93,93,00,000
13	Formers Welfare and Agriculture Development	Revenue	69,65,77,200	0	69,65,77,200
14	Animal Husbandry	Revenue	8,80,86,000	0	8,80,86,000
		Capital	3,00,00,000	0	3,00,00,000
15	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions under Schedule Castes Sub Plan	Revenue	10,42,37,000	0	10,42,37,000
		Capital	5,64,02,000	0	5,64,02,000
16	Fisheries	Revenue	2,00,100	3,00,000	5,00,100
17	Co-operation	Revenue	27,15,100	0	27,15,100
18	Labour	Revenue	7,94,26,000	0	7,94,26,000
19	Public Health and Family Welfare	Revenue	3,97,12,000	0	3,97,12,000
20	Public Health Engineering	Revenue	1,60,00,000	0	1,60,00,000
21	Housing and Environment	Revenue	6,50,00,000	0	6,50,00,000
		Capital	32,51,000	0	32,51,000
22	Urban Administration and Development-Urban Bodies	Revenue	36,15,00,000	0	36,15,00,000
23	Water Resources Department	Capital	2,00,00,00,400	0	2,00,00,00,400

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
24	Public Works—Roads and Bridges	Revenue	3,35,34,00,500	0	3,35,34,00,500
25	Mineral Resources	Revenue	100	1,41,34,00,000	1,41,34,00,100
26	Culture	Revenue	3,17,00,000	0	3,17,00,000
		Capital	1,20,00,000	0	1,20,00,000
27	School Education (Primary Education)	Revenue	75,00,00,000	0	75,00,00,000
29	Law and Legislative Affairs	Revenue	10,26,00,000	0	10,26,00,000
32	Public Relations	Revenue	16,20,00,000	0	16,20,00,000
33	Tribal Welfare	Revenue	12,90,200	0	12,90,200
34	Social Justice	Revenue	20,65,00,000	0	20,65,00,000
36	Transport	Revenue	2,25,00,100	0	2,25,00,100
		Capital	12,00,00,000	0	12,00,00,000
37	Tourism	Revenue	69,00,000	0	69,00,000
		Capital	45,65,64,000	0	45,65,64,000
39	Food, Civil Supplies and Consumer Protection	Revenue	4,07,00,84,000	0	4,07,00,84,000
		Capital	1,56,00,00,000	0	1,56,00,00,000
40	Expenditure pertaining to Water Resources Department Command Area Development	Revenue	800	0	800
		Capital	50,00,00,000	0	50,00,00,000
41	Tribal Areas Sub-Plan	Revenue	68,58,75,300	0	68,58,75,300
		Capital	44,48,80,300	0	44,48,80,300

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
43	Sports and Youth Welfare	Revenue	20,58,70,000	0	20,58,70,000
45	Minor Irrigation Works	Revenue	7,72,00,000	0	7,72,00,000
		Capital	2,48,00,09,300	0	2,48,00,09,300
47	Technical Education and Skill Development	Revenue	25,39,90,000	0	25,39,90,000
		Capital	32,00,00,000	0	32,00,00,000
48	Narmada Valley Development	Revenue	8,62,00,100	0	8,62,00,100
		Capital	1,24,52,00,000	0	1,24,52,00,000
49	Scheduled Caste Welfare & Vimuktta, Ghumakkad evam Ardha Ghumakkad caste Welfare	Revenue	12,35,000	0	12,35,000
50	Horticulture and Food Processing	Revenue	17,38,75,100	0	17,38,75,100
52	Financial assistance to Tribal Area Sub-Plan Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	36,51,65,000	0	36,51,65,000
		Capital	7,75,51,000	0	7,75,51,000
55	Women and Child Development	Revenue	65,95,40,000	0	65,95,40,000
		Capital	1,76,40,20,000	0	1,76,40,20,000
56	Rural Industry	Revenue	5,00,00,000	0	5,00,00,000
58	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity	Revenue	6,00,00,00,000	0	6,00,00,00,000
61	Expenditure pertaining to Bundelkhand package	Revenue	200	0	200
		Capital	2,05,94,00,000	0	2,05,94,00,000
63	Minority Welfare	Revenue	2,30,00,000	0	2,30,00,000
64	Scheduled Castes Sub Plan	Revenue	86,60,56,100	0	86,60,56,100
		Capital	2,00,32,27,300	0	2,00,32,27,300

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
65	Aviation	Revenue	10,00,000	0	10,00,000
66	Welfare of Backward Classes	Revenue	1,40,89,00,000	0	1,40,89,00,000
		Capital	8,82,18,000	0	8,82,18,000
67	Public Works-Buildings	Revenue	25,00,00,000	0	25,00,00,000
		Capital	100	0	100
69	Information Technology	Revenue	5,39,00,000	0	5,39,00,000
		Capital	7,50,00,000	0	7,50,00,000
72	Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation	Revenue	2,30,29,000	0	2,30,29,000
73	Medical Education Department	Revenue	69,15,00,000	0	69,15,00,000
		Capital	50,00,000	0	50,00,000
74	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	8,33,51,41,000	0	8,33,51,41,000
		Capital	21,85,53,000	0	21,85,53,000
75	Financial assistance to Urban bodies	Revenue	1,91,12,60,000	75,00,00,000	2,66,12,60,000
76	New and Renewable Energy Sources	Revenue	24,25,00,000	0	24,25,00,000
77	Other expenditure pertaining to School Education Department (excluding Primary Education)	Revenue	1,33,42,00,100	0	1,33,42,00,100
	Total ..	Revenue ..	48,99,76,87,100	4,48,11,58,000	53,47,88,45,100
		Capital ..	17,23,84,76,500	0	17,23,84,76,500
		Grand Total ..	66,23,61,63,600	4,48,11,58,000	70,71,73,21,600